

ida

इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

7, रेसकोर्स, रोड, इन्दौर (म.प्र.)

विज्ञापित क्र. : 196

दिनांक : 04.10.2024

इन्दौर विकास प्राधिकरण की योजना क्र. 151 में सुपर कारिडोर उपयोग के 05 भूखण्डों को आरक्षण श्रेणी अनुसार भू-स्वामी अधिकार पर न्यूनतम दर के बराबर या अधिक दर पर व्ययन करने हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

अ. क्र.	टेण्डर क्र.	भूखण्ड क्र.	भूखण्ड का उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी.) में	आरक्षित श्रेणी	न्यूनतम दर (प्र.व.मी.) में	अर्नेस्ट मनी (रु. लाख में)
1	2024_DTCP_372728_1	36-सी	व्यवसायिक	8220.00	सामान्य	83500	68.63
2	2024_DTCP_372735_1	35-सी	व्यवसायिक	9960.67	सामान्य	83500	83.17
3	2024_DTCP_372741_1	70-डी	व्यवसायिक	10975.18	सामान्य	83500	91.64
4	2024_DTCP_372745_1	34-ए-सी	व्यवसायिक	9897.71	सामान्य	83500	82.64
5	2024_DTCP_373585_1	32-डी	व्यवसायिक	1622.00	सांसद/विधायक	83500	13.54

ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी महत्वपूर्ण दिनांक

अ.क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	निविदा प्रपत्र क्रय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	08-10-2024	14:00 hrs.
2	निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	29-10-2024	18:00 hrs.
3	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र खोलने एवं जाँचने का दिनांक एवं समय	04-11-2024	11:30 hrs Onwards
4	पात्र निविदादाताओं के ऑनलाईन वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	08-11-2024	12:30 hrs

नोट :-

- निविदा ई-प्रोक्योरमेंट पद्धति से पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर देखी एवं ऑनलाईन क्रय की जा सकती है। ई-टेण्डर हेल्प डेस्क का टोल फ्री नंबर 01204001002 है।
- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रस्तुतकर्ता अर्नेस्टमनी (प्रतिभूति) राशि का भुगतान ऑनलाईन क्रेडिट कार्ड/डेबिटकार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकेगा।
- निविदादाता को अपने निविदा ऑफर (दर) ऑनलाईन देना होगा। सभी डाक्यूमेंट्स ऑनलाईन अपलोड करना होंगे। निविदादाता को पंजीयन राशि रसीद, पेन नंबर, निविदा प्रपत्र, निविदा की शर्तें आदि की प्रति स्केनिंग करके ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किया जायेगा, जिसे पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।
- सम्पत्ति की प्रीमियम की प्रथम 25 प्रतिशत राशि (अमानत राशि सहित) आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में जमा कराना होगा एवं शेष प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि आगामी 3 माह की अवधि में अर्थात् आरक्षण पत्र जारी होने के दिनांक से 4 माह की अवधि में जमा कराना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रीमियम की राशि जमा न करने पर व्ययन नियम, 2018 के नियम 12 अनुसार सम्पत्ति की निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।
- प्राधिकरण को निविदा स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

अधिक जानकारी के लिये कार्यालयीन समय में मो. 98936-99113 पर संपर्क करें
एवं प्राधिकारी की वेबसाइट www.idaindore.org पर देखें।